राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.27(8)न्याय/2016 जयपुर, दिनांक 03 FEB 2023

:: परिपत्र ::

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में कार्यरत कार्मिक राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के द्वारा आहूत सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 30.11.2022 से 14.12.2022 तक 15 दिवस सामूहिक अवकाश पर रहे है। इस संबंध में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों द्वारा उक्त सामूहिक अवकाश अवधि में अवकाश की प्रकृति एवं वेतन भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन मांगा जा रहा है।

इस संबंध में लेख है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा के विभागाध्यक्षों की सूची में बिन्दु संख्या 240 के अनुसार समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों को विभागाध्यक्ष घोषित किए हुए है। अतः न्यायिक कर्मचारी जयपुर जिला द्वारा दिनांक 18.11.2022 से चल रहे सामूहिक अवकाश के समर्थन में दिनांक 30.11.2022 से 14.12.2022 तक कुल 15 दिवस तक अधिकरण में पदस्थापित कर्मचारीगण के अवकाश अवधि के प्रार्थना पत्र प्राप्त कर, नियमानुसार अवकाश स्वीकृत कर, वेतन भुगतान करने की कार्यवाही किये जाने हेतु न्यायाधीश, समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को उनके पत्र क्रमांकः-जी/आई/ए-4(i)(a)/186/2022/SC-II/56 दिनांक 25.01.2023 के क्रम में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. न्यायाधीश, समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण।
4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA 2022-23\ORDER-2022.docx